सोलिस्टर का उपयोग करने के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

हम में से अधिकतर लोगों को जीवन में कभी न कभी किसी माहिर से कानूनी सलाह लेने की ज़रूरत होती है। सबसे अधिक पैदा होने वाली समस्याओं का संबंध घरों, तलाक लेने या वसीयत करने से होता है। परंतु यदि आपको अपने साथी के साथ मिलकर घर बसाना है, अपना कारोबार शुरू करना है या किसी वृद्ध व्यक्ति के पैसों का प्रबंध चलाना है, तब भी आपको मदद की ज़रूरत हो सकती है।

कानून पेचीदा हो सकता है, इस लिए अधिक से अधिक अच्छी सलाह लेना ज़रूरी है। सोलिस्टर कानून और कानून के आप पर पड़ने वाले प्रभावों के क्षेत्र के माहिर होते हैं। इस लिए विश्वसनीय जानकारी लेने के लिए किसी सोलिस्टर से संपर्क करें।

सोलिस्टर ढूँढना

आपके अपने इलाके में सोलिस्टर ढूँढना आसान काम है। आप नंबर 0870 606 2555 पर फ़ोन करें, या वेबसाईट www.lawsociety.org.uk/findasolicitor पर जाकर सोलिस्टर ढूँढें, परंतु ध्यान से सोचें कि आपको किस प्रकार की सेवा की ज़रूरत है। जिन बातों के बारे में विचार करने की ज़रूरत है उनमें से कुछ बातें ये हैं।

मुझे किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है?

सोलिस्टरों की कोई भी फ़र्म अनेक प्रकार की कानूनी समस्याओं के बारे में सेवाएं प्रदान कर सकती है।, परंतु अब अधिक से अधिक सोलिस्टर एक या दो विशेष कामों के माहिर बनते जा रहे हैं। सोलिस्टरों की जिस फ़र्म से आप आम तौर पर काम लेते हैं, यदि वह आपकी सभी ज़रूरतें पूरी न कर सके, तो वे बड़ी ख़ुशी से आपको किसी अन्य माहिर सोलिस्टर के पास भेज देंगे। या, यदि आप चाहें तो वे किसी अन्य माहिर से आपके लिए सलाह ले सकते हैं।

मुझे कैसे पता चले कि मेरी मदद करने के लिए अवाश्यक महारत उनके पास है?

प्राईवेट काम करने वाले सभी सोलिस्टरों को अपने काम का सर्टीफ़िकेट सोलिस्टर्ज़ रैग्यूलेशन्ज़ सोसाइटी से लेना पड़ता है, जो नियम लागू करने वाली स्वतंत्र संस्था है (जिसकी स्थापना लॉ सोसाइटी ने की है), जो ऐसे नियम बनाती है जिनका पालन करना सभी सोलिस्टरों के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी होती है कि सोलिस्टर में अपना काम करने की योग्यता है और यदि बात बिगड़ जाए तो उसने आपका बचाव करने के लिए इन्शोरेंस करवाई है। यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप वह सर्टीफ़िकेट देखने की माँग कर सकते हैं (जो आपके सोलिस्टर के दफ़्तर में लगाया होगा, या आप सोलिस्टर्ज़ रैग्यूलेशन्ज़ सोसाइटी से नंबर 0870 606 2555 पर बात करके पूछ लें।

आप अपने सोलिस्टर से पूछ सकते हैं कि क्या उसकी फ़र्म को कोई क्वालिटी अवार्ड (उत्तम काम का सर्टीफ़िकेट) मिले हैं, जिनसे पता चल सके कि क्या उन्होंने अच्छे काम के मानदंड लागू किए हैं। यदि फ़र्म को उत्तम काम करने के लिए हमारा लैक्सैल (Lexcel) अवार्ड मिलता है तो, लॉ सोसाइटी इस बात की पुष्टि करेगी। (आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं – lexcel@lawsociety.org.uk या नंबर 020 7320 5933 पर फ़ोन कर सकते हैं)।

कई सोलिस्टर निजी तौर पर भी क्वालिटी अश्योर्ड स्कीमों (उत्तमता सुनिश्चित करने वाली स्कीमों) के मैम्बर हो सकते हैं जो पैनल कई कानूनी क्षेत्रों के लिए सोलिस्टर्ज़ रैग्यूलेशन्ज़ सोसाइटी ने बनाए हैं। इन स्कीमों में शामिल होने के योग्य होने के लिए किसी सोलिस्टर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास माहिरों वाली काफ़ी जानकारी और योग्यता हो। आपके इलाके में इन स्कीमों के मैम्बरों की लिस्ट आप हमारी वेबसाईट www.lawsociety.org.uk के भाग पर Find a Solicitor पढ़ सकते हैं। इस वेबसाईट से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं।

फ़र्म के काम का स्थान कहाँ है?

फ़र्म के काम के स्थान तक पहुँचने में आसानी के बारे में भी विचार करना चाहिए, ख़ास तौर पर वृद्ध या अपंतगाओं वाले लोगों को। क्या आप किसी ऐसी फ़र्म से काम लेना चाहेंगे तो आपके घर से अधिक निकट है? यदि यह बात है तो आपके पास चुनाव करने के अवसर कुछ कम होंगे। कई सोलिस्टर बड़ी ख़ुशी से आपके घर आकर बात कर सकते हैं, इस लिए यदि आपको आने जाने में मुश्किल आती है, तो इसके बारे में उनसे पूछ लेना अच्छी बात है।

क्या वे लीगल एड वाला काम भी करते हैं?

यदि आपकी आमदन कम है या आपको बैनीफ़िट मिलते हैं, तो हो सकता है कि आपको लीगल एड (कानूनी काम में मदद) लेने का अधिकार हो। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप अपने निकट के सिटीज़न्ज़ ऐड्वाईस ब्यूरो या लॉ सेंटर से बात कर सकते हैं। कुछ फ़र्में लीगल एड वाला काम करती हैं और कुछ नहीं। यदि आपको इस प्रकार की आर्थिक मदद लेने का अधिकार है; तो आपको उन थोड़ी सी फ़र्मों में से चुनाव करना पड़ेगा जो यह काम करती हैं। इन फ़र्मों की लिस्ट आपको कम्यूनिटी लीगल सर्विस की इस वेबसाईट से मिल सकती है – www.clsdirect.org.uk

लीगल एड का प्रबंध लीगल सर्विसिज़ कमिशन चलाता है, तो इस बात की ओर ख़ास ध्यान देता है कि सोलिस्टरों की फ़र्में काम का ऊँचे मानदंडों का पालन करें।

क्या वे शर्त के अनुसार फ़ीस (कंडीशनल फ़ीस) के ढंग से भी काम करते हैं?

कुछ प्रकार के केसों के लिए, जिनमें निजी चोट के केस भी शामिल हैं, आपका सोलिस्टर शर्त के अनुसार फ़ीस लेने के ढंग से काम कर सकता है। इसे आम तौर पर "जीते नहीं, तो फ़ीस नहीं" वाला ढंग कहा जाता है। यदि आप केस जीत जाएं, तो आपके सोलिस्टर की फ़ीस का अधिकतर भाग आम तौर पर दूसरे पक्ष को देना पड़ता है, यदि आप केस हार जाएं, तो आपको अपने सोलिस्टर की फ़ीस नहीं देनी पड़ती। आपको कहा जा सकता है कि जीतने वाले पक्ष का ख़र्च देने के लिए आप इन्शोरेंस करवा लें। ऐसी शर्तें कई प्रकार की होती हैं, परंतु सभी सोलस्टिर फ़र्में इस ढंग से केस लेने के लिए तैयार नहीं होतीं।

क्या वे सहानुभूति से काम करेंगे?

यदि आपको किसी निजी समस्या के सम्बंध में सोलिस्टर से मिलने की ज़रूरत हो, जैसे सम्बंध टूटना, तो आप किसी ऐसे सोलिस्टर का चुनाव करें जिसके साथ आप आराम का अनुभव कर सकें। यदि आप दु:खी हों तो अधिकतर सोलिस्टरों का आपके साथ व्यवहार समझदारी और सहानुभूति वाला होगा, परंतु यह भी हो सकता है कि यदि आप पुरुष हैं तो किसी पुरुष सोलिस्टर से बात करना चाहें और यदि आप स्त्री हैं तो किसी स्त्री सोलिस्टर से बात करना चाहें। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप बिना झिझक यह बात कह दें।

क्या वे मेरी भाषा में बात कर सकते हैं?

यदि अंग्रेज़ी आपकी पहली भाषा नहीं, तो आप सोलिस्टर ढूँढते समय यह बात बता दें। यदि काफ़ी समय पहले आप बता दें तो फ़र्म वाले मीटिंग से समय किसी इंटरप्रैटर का प्रबंध कर सकते हैं।

अप्वाइंटमेंट बनाना

यदि आपने सही प्रकार की फ़र्म ढूँढ ली है, तो उनसे मिलने के लिए आपको अप्वाइंटमेंट बनानी होगी। यदि मीटिंग में आप किसी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो यह उन्हें बता दें, और यह भी पूछ लें कि क्या कोई दस्तावेज़ आदि ले जाने की ज़रूरत है, जैसे पहचान या आमदन का कोई सबूत।

तैयारी करके जाएं

मीटिंग से पहले आप जितनी अधिक तैयारी करके जाएंगे, मीटिंग का उतना ही अधिक लाभ आपको होगा। जो मुख्य बातें आप बताना चाहते हैं और जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बना लें। सभी सम्बंधित काग़ज़ात किसी विशेष क्रम में रखें, ताकि आप जल्दी इन्हें देख सकें। इससे आपका सोलिस्टर आपके हालात को अधिक अच्छी तरह और आसानी से समझ कर आपको सही सलाह दे सकता है।

सोलिस्टर का उपयोग करने के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

मीटिंग के समय

पता लगाएं कि मीटिंग कितना समय चलेगी, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बात पूरी होने से पहले ही अपको पता चले कि "समय पूरा हो गया है"। कही जाने वाली बातें अपने सामने लिखकर रख लें, और जो जो बात होती जाए उसके सामने सही का निशान लगाते जाएं, और यदि कोई बात आपको समझ न आए, तो बिना झिझक फिर से पूछ लें।

अंत में, सोलिस्टर से कहें कि वह मीटिंग के बाद पत्र में संक्षिप्त रूप में लिखे कि कि आपको क्या सलाह दी गई, और निम्नलिखित बातों की पुष्टि करे –

- क्या उसने काम संभाल लिया है।
- फ़र्म में किसी व्यक्ति का नाम को आपके केस को संभालेगा या संभालेगी।
- आपके केस को पूरा करने के लिए फ़र्म कितना समय लेगी।
- ख़र्च का अनुमान और अधिक के अधिक ख़र्च की मानी गई हद।
- कोई अन्य जानकारी जो आपने माँगी है।

सोलिस्टर की फ़ीस

अन्य वस्तुओं की तरह कानूनी सलाह के लिए भी आपको पैसे ख़र्च करने पड़ते हैं, परंतु इससे आपको बहुत अधिक लाभ हो सकता है। अलग अलग सोलिस्टरों की फ़ीस भी अलग अलग होती है, और यह किसी सोलिस्टर की जानकारी और अनुभव पर और इस बात पर भी निर्भर होती है कि केस कितना पेचीदा है।

फ़र्म का चुनाव करने से पहले आप कई फ़र्मों से 'ख़र्च के बारे में जानकारी' ले सकते हैं। यह फ़ैसला करें कि आप किस प्रकार के सोलिस्टरों से बात करके फ़ीस के बारे में पूछना चाहते हैं। कुछ सोलिस्टर छोटी से पहली मीटिंग की फ़ीस नहीं लेते या कम फ़ीस लेते हैं। यह पता लगाना अच्छी बात है।

परंतु केवल फ़ीस की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसा सोलिस्टर ढूँढने की कोशिश करें जिसके साथ आप आराम से बात कर सकें और जिसकी सलाह आपको समझ आ सके।

निश्चित फ़ीस या घंटों के हिसाब से फ़ीस?

सोलिस्टर हमेशा ही किसी काम के लिए एक निश्चित फ़ीस नहीं लेते। फ़ीस का बिल प्राय: घंटों के हिसाब से तैयार किया जाता है, और जितना अधिक समय लगा हो उतने ही अधिक पैसे लगेंगे। सोलिस्टर के लिए यह ज़रूरी है कि वह शुरू में ही, और आम तौर पर पहली मीटिंग में, ख़र्च का अनुमान बता दे।

यदि घंटो के हिसाब से फ़ीस बताई जाए, तो आप ख़र्च की अधिक से अधिक सीमा निश्चित कर लतें। यदि ऐसा लगे कि ख़र्च इस सीमा से आगे बढ़ रहा है, तो सोलिस्टर आपको बताएगा कि आप इस समझौते को कायम रखने के लिए कुछ करें।

संपर्क रखना

जब आप सोलिस्टर रख लेंगे, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि हर महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर वह आपके साथ सलाह करे कि आप काम को किस ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह, यदि आपको हालात में परिवर्तरन हो जाएं जिनका प्रभाव केस पर पड़ता हो, तो आपके लिए भी आवश्यक होगा कि आप अपने सोलिस्टर को बताएं। आपकी आर्थिक स्थिति में आने वाले परिवर्तन भी इस बातों में शामिल हैं, जिनका प्रभाव आपकी लीगल एड लेने के अधिकार पर पड़ सकता है।

अधिक जानकारी

यह पर्चा सोलिस्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली आम कानूनी सेवाओं के बारे में पर्चों की शृंखला में से एक पर्चा है। इस शृंखला के पर्चों की लिस्ट नीचे दी गई है। ये पर्चे आप अपने सोलिस्टर से ले सकते हैं या ला सोसाइटी को नम्बर 0870 3333 084 पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं।

- अपना घर किराए पर देने के बारे में आपके लिए जानकारी
- आपका अपना घर ख़रीदने बारे में आपके लिए जानकारी
- घर किराए पर लेने के बारे में आपके लिए जानकारी
- वसीयत करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- तलाक लेने के बारे में आपके लिए जानकारी (ज्ञुर गुडि टो गेटटनिग ı डविोरचे
- काम पर आने वाली मुश्किलों के बारे में आपके लिए जानकारी
- कारोबार शुरू करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- निजी चोट का मुआवज़ा माँगने के बारे में आपके लिए जानकारी
- वृद्ध लोगों की समस्याओं के बारे में आपके लिए जानकारी
- अपने साथी के साथ घर बसाने के बारे में आपके लिए जानकारी
- प्रोबेट (वसीयत की सरकारी जाँच पड़ताल) के बारे में आपके लिए जानकारी
- असाईलम (आश्रय) के लिए अर्ज़ी देने के बारे में आपके लिए जानकारी

यह पर्चा आप बड़े अक्षरों या ब्रेल में, सुनने वाली टेप पर, और सी डी पर भी मंगवा सकते हैं। यदि यह पर्चा आपको इनमें से किसी रूप में चाहिए, तो कृपया हमारे साथ इस ईमेल पते पर संपर्क करें – accessibility@lawsociety.org.uk, या हमें नंबर 0870 606 2555 पर फ़ोन करें।

यह पर्चा आप विभिन्न भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारी इस वेबसाईट पर जाएं – www.lawsociety.org.uk.

Lexcel

Look for Lexcel - the mark of excellence

The Law Society 113 Chancery Lane London WC2A 1PL फ़ोन – 020 7242 1222 www.lawsociety.org.uk

यद्यपि सही जानकारी देने की हमने पूरी कोशिश की है, परंतु कानून हमेशा बदलता रहता है, और इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार का होता है।
यह पर्चा आपके बारे में विशेष सलाह का स्थान नहीं ले सकता, और यदि आप केवल इसी पर्चे पर निर्भर रहेंगे, तो इसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

Designed by dmlmarketing.co.uk Version 2, 2007 Your guide to using a solicitor - Hindi